

प्रेस नोट

26.11.2020

सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुयी आगजनी व हिंसा में शामिल गैंगेस्टर अपराधी वहाव पुत्र अब्दुल गनी की अपराध व अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति एक ई-रिक्सा मूल्य लगभग (01 लाख 35 हजार रूपये) अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मऊ पुलिस द्वारा जब्त-

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.11.2020 को गैंगेस्टर अपराधी वहाव पुत्र अब्दुल गनी निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ की अवैध व अपराध कारित कर अर्जित सम्पत्ति एक ई-रिक्सा मूल्य लगभग 01 लाख 35 हजार रूपये थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत मिर्जाहादीपुरा तिराहे पर हुयी आगजनी, तोड़फोड़ व हिंसा में उक्त वहाव पुत्र अब्दुल गनी भी शामिल था। जिसके सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला पर चार अभियोग पंजीकृत किया था। इसके बाद थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 106/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी थी। इसी क्रम में गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उक्त जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गैंगेस्टर अपराधी वहाव पुत्र अब्दुल गनी के विरुद्ध दिनांक 03.09.2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गयी है तथा यह वर्तमान में जेल में निरुद्ध है।

जब्त सम्पत्ति विवरण-

1. एक ई-रिक्सा यूपी 54 एटी 0162 (01 लाख 35 हजार रूपये)।

अपराधिक इतिहास वहाव पुत्र अब्दुल गनी-

1. मु0अ0सं0 1436/16 धारा 147,148,149,307,34,323,504,506,332,333,336,427,352,353,324,188,120बी भादवि0, 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 246/19 धारा 147,148,149,152,153,186,188,189,323,332,336,341,352,353,307,395,120बी, 427,435,504,506, भादवि0, 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट थाना थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
3. मु0अ0सं0 247/19 धारा 147,148,149,186,188,189,307,332,336,353,395,427,435,436,504,506,412, 120बी भादवि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट थाना थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 249/19 धारा 436,435,427 भादवि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 250/19 धारा 336,427, भादवि0 व 3/4 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 11/20 धारा 323,504,506,342,420 भादवि0 थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 106/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा सलाहाबाद से मु0अ0सं0 825/20 धारा 376 भादवि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र गजानंद राजभर निवासी सलाहाबाद सियरहा थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार—

दिनांक 25.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा असना नहर पुलिया के पास से मिथिलेश पुत्र रामधारी निवासी शंकरपुर थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 19 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 26.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा राकेश मिश्र, अशोक मिश्र निवासीगण करबा घोसी, मुकर्रम अली निवासी गंगापब्बी थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा जितेन्द्र निवासी गड़वा, श्यामसुन्दर निवासी छतरपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा अरविन्द, मोनू निवासीगण इन्दारा, वीरेन्द्र निवासी कटवास, विवेक निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा शाहब चौहान निवासी भाताकोल, श्यामदेव यादव, सुरेश यादव निवासीगण करहा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा चतुर्भुज सिंह निवासी रणवीरपुर, राजेन्द्र प्रसाद, श्वेता सिंह, रूचि खरवार, सोभा, हरेन्द्र, दीपक निवासीगण बड़ी बकवल थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।